प्ररूप— 21ग (नियम 64 देखिये) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

105. केकड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :--

नाम श्री रघु शर्मा, म.नं. 603, गोल हथाई, पोस्ट सावर, जिला अजमेर (राज.) 305407 जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खडे किए गए, उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- अजमेर

तारीख :- 11.12.2018

(शंकर लाल सैनी) रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा क्षेत्र 105. केकड़ी उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट्, केकड़ी

रिटर्निंग ऑफिसर

वियानसमा निर्वाचन क्षेत्र, 105-केकड़ी

and has the life of the property of the second

FORM-21 C

(See Rule 64)

(For use in general election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from 105- KEKRI Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that –

SHRI RAGHU SHARMA, H.N0-603, Gol Hathai, Post-Sawar, District-Ajmer 305407Sponsered by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – AJMER Date—11-12-2018

(Shankar Lal Saini)

Returning Officer
105- Kekri Assembly Constituency
(Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate Kekri)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 105-केकड़ी